

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र

क्रमांक : प 1(2)(69) मअ/स्था/2009/1341

जयपुर, दिनांक: 8-4-2021

कार्यालय आदेश

महिला अधिकारिता विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक संवर्ग (कनिष्ठ सहायक) में दिनांक 01.04.2021 तक कार्यरत कर्मचारियों की अन्तःकालीन (Provisional) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जा रही है:-

क्र.सं	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति	वर्तमान पद पर चयन वर्ष	अनुभव अवधि की गणना तिथि
कनिष्ठ सहायक					
1.	श्रीमती सोनम मीणा	01.01.1994	01.03.2013	2013-14	-
2.	श्री नरेन्द्र कुमार मीना	05.07.1978	21.04.2015	2015-16	-
3.	श्री अशोक चौधरी	15.08.1994	06.02.2013	2016-17	-
4.	श्री सत्यनारायण भास्वी	09.02.1976	11.04.2016	2016-17	-
5.	श्री रामलाल	15.06.1994	06.03.2018	2018-19	-
6.	श्री रविराज मिश्रण	03.12.1991	28.02.2018	2018-19	-
7.	श्री बाबुलाल शर्मा	13.02.1992	26.02.2018	2018-19	-
8.	श्री नईम खान	24.11.1991	05.03.2018	2018-19	-
9.	श्री मनोज कुमार	20.08.1992	05.03.2018	2018-19	-
10.	श्रीमती सुनीता शर्मा	02.04.1986	02.04.2018	2018-19	-
11.	श्री हीरा चन्द शर्मा	30.05.1985	27.02.2019	2019-20	-
12.	श्री लोकेन्द्र शर्मा	20.08.1990	27.02.2019	2019-20	-
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	24.11.1990	08.03.2019	2019-20	-
14.	श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल	06.08.1994	27.02.2019	2019-20	-
15.	श्री नूतन कुमार जिन्दल	30.01.1992	26.02.2019	2019-20	-
16.	श्री अनिरुद्ध शर्मा	05.08.1989	27.02.2019	2019-20	-
17.	श्री सत्य प्रकाश वैष्णव	13.09.1991	26.02.2019	2019-20	-
18.	श्री अजय कुमार शर्मा	13.04.1993	06.03.2019	2019-20	-
19.	श्री शंकर दयाल शर्मा	21.01.1987	27.02.2019	2019-20	-
20.	श्री आशीष कुमार सैनी	05.10.1987	06.03.2019	2019-20	-

उपरोक्त वरिष्ठता सूची पर यदि किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति हो तो वह इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अंदर इस विभाग को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्ति के पश्चात ऐतराज पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त

महिला अधिकारिता

जयपुर, दिनांक: 8-4-2021

क्रमांक : प 1(2)(69) मअ/स्था/2009/13412-434

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. उप निदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता संबंधित जिला।
4. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री
5. रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.